सं. डीपी/पर्स-एम/2010/654 /ए-13011/4/2010
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार
ब्लॉक नं. 3, चौथा तल, सीजीओ काम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
दिनांक : 05/3/10

परिपत्र

विषय - **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2010 के अवसर पर निदेशक, के.अ.ब्यूरो द्वारा संबोधन - के संबंध में।**

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) 8 मार्च, 2010 के अवसर पर निदेशक, के.अ.ब्यूरो दिल्ली स्थित के.अ.ब्यूरो की सभी महिला कर्मचारियों को 11.30 पूर्वाह्न पर संबोधित करेंगें।

2. अतएव, यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली स्थित के.अ.ब्यूरो की सभी महिला कर्मचारी 8 मार्च, 2010 को प्रात: 11.00 बजे के.अ.ब्यूरो, सम्मेलन कक्ष, ब्लॉक नं. 3, तीसरा तल, सीजीओ काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली पर एकत्र होंगी।

3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), उप-निदेशक (प्रशासन) एवं पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) की उपस्थिति भी वांछनीय है।

यह निदेशक, के.अ.ब्यूरो के अनुमोदन से जारी किया गया है।

5/3/10

(एम. सचदेव)
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)
के.अ.ब्यूरो, मु., नई दिल्ली.

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति प्रेषित :

1. निदेशक, के.अ.ब्यूरो के निजी सचिव।
2. सभी जोन के मुखिया, के.अ.ब्यूरो (दिल्ली स्थित शाखाएं)।
3. सभी शाखा के मुखिया, के.अ.ब्यूरो (दिल्ली स्थित शाखाएं)।
4. पुलिस अधीक्षक (मु.), के.अ.ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि लगभग 50 प्रतिभागियों के लिए बैठने की एवं चाय बिस्कुट आदि की व्यवस्था करवाएं।
5. सहायक निदेशक (सम.) और सहायक निदेशक (इंटरपोल), के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली।
6. निदेशक, सीएफएसएल, के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली।
7. सिस्टम प्रभाग, के.अ.ब्यूरो इसे अपने वेबसाइट पर तत्काल डाले।
8. सभी अनुभाग, प्रभाग, के.अ.ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली।